36

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 337-तीन/2003 - विरूद्ध - आदेश दिनांक 31-12-2002 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 244/2000-01 अपील

रतन शॅकर आत्मज रबि शॅकर मुदगल
ग्राम बड़ौदा तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

कृपा शॅकर आत्मज रबिशॅकर मुदगल
निवासी श्योपुर हाल प्रतापनगर कोटा
राजस्थान ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-08-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 244/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-02 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कस्वा श्योपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 743/2 के अंश भाग 107X210 वर्गफुट पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 21 पर आदेश दिनांक 28-2-97 से बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 28/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-5-2001 से नामांतरण आदेश दिनांक 28-2-97 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की

 प्र0क0 337-तीन/2003 निगरानी गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्र0 क0 244/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-02 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम की नामांत्रण पंजी पर दिये गये नामानतरण आदेश दिनांक 28-2-97 को इस आधार पर निरस्त किया है कि नामान्तरण प्रमाणित करने के पूर्व रजिस्टर्ड लिखतम / अधिकार पत्र के संबंध में सत्यता की जांच साक्ष्य द्वारा पुष्टिकृत नहीं कराई गई है साथ ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार ही लिखतम को सावित किया जाना नहीं पाया गया है। विचारण न्यायलय ने अधिकार पत्र को संदेह से परे सिद्व किये बिना ही नामान्तरण करने में बैधानिक त्रृटि की है। इस प्रकार का निर्णय लेकर अनुविभागीय अधिकारी ने नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 21 पर आदेश दिनांक 28-2-97 से बसीयत के आधार पर किया गया नामान्तरण ठीक ही निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 31-12-02 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 244/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-02 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर